जुलाई, 2022

हिमाचल शूरवीर हितैषी

निदेशक :
सैनिक कल्याण विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार
पिन–177001

नोट

इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री केवल पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को जागरुक करने के लिए है। उचित प्राधिकार एवम् प्रक्रिया सम्बन्धित जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

हिमाचल शूरवीर हितैषी

हिमाचल प्रदेश राज्य सैनिक कल्याण विभाग की

त्रैमासिक पत्रिका

Chief Editor & Publisher
Brig MS Sharma (Retd)
Director

संदेश

1. हिमाचल सरकार द्वारा सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से और केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाऐं चलाई जा रही हैं । परन्तु यह देखने में आया है कि ज्यादातर पूर्व सैनिक इन योजनाओं के बारे में अनभिज्ञ हैं, जिसके कारण वे इन योजनाओं का फायदा नहीं ले पाते हैं । इन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सैनिक कल्याण निदेशालय, हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट http://swd.hp.gov.in और केन्द्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड की वेबसाइट ksb.gov.in पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त रोजगार से सम्बंधित रजिस्ट्रेशन नम्बर (सैल नं0), साक्षात्कार सूचना, पेनल लिस्ट, रिक्त स्थानों का ब्यौरा इत्यादि भी सैनिक कल्याण निदेशालय की वेबसाइट पर दिया जाता है ।

2. मैं पूर्व सैनिकों से अनुरोध करता हूँ कि वे सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश और कैन्द्रीय सैनिक बोर्ड की उपरोक्त वेबसाइटों से जानकारी प्राप्त कर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उचित लाभ उठायें ।

जय हिन्द।

आपका सेवक,

ब्रिगेडियर एम०एस० शर्मा (सेवानिवृत)
निदेशक
सैनिक कल्याण, हि०प्र०
फोन : 01972–221854
वेबसाइट : http://swd.hp.gov.in

01 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक विभिन्न श्रेणियों में पूर्व सैनिकों के मनोनयन का ब्यौरा इस प्रकार से है :–

Sr No	Name of Designation	Total Nos
1.	JE (Electrical)	02
2.	Fireman	08
3.	Ayurvedic Pharmacist	10
4.	Constable (including Driver)	153
5.	Drawing Master	02
6.	JBT	01
7.	Restorer	01
8.	TGT (Arts, Medical & Non Medical)	27
9.	Assistant Jail Superintendent	01
10.	JOA(IT)	17
11.	JTO(Foreman Gd-II)	03
12.	JE (Mech)	02
13.	Jail Warder	07
14.	Electrician	19
15.	Lineman	05
16.	Sub Station Attendant	09
17.	JOA(Acct)	04
18.	Laboratory Assistant	02
19.	PGT (Eng & Hindi)	02
20.	Sanitary Inspector	01
Total		276

अनुग्रहपूर्वक अनुदानः

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों, अपंग हुए सैनिकों व अन्य कारणों से स्वर्गवास होने वाले सेवारत सैनिकों व अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के निकटतम सम्बंधी को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाता है। 01 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध में [illegible] हुए सैनिकों, अपंग हुए सैनिकों व अन्य कारणों से मरने वाले कुल 18 सैनिकों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान के रुप में 1,47,50,000/– रूपये की राशि प्रदान की गई।

बुढ़ापा आर्थिक सहायता.

विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक 580 पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं को 62,38,649/– रुपये की बुढ़ापा आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

वीरता पुरस्कार विजेता अनुदान :

01 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 06 नये वीरता पुरस्कार विजेताओं को 32,01,098/–रुपये की मौद्रिक अनुदान की राशि प्रदान की गई।

निःशुल्क बस यात्रा :

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कुल 1373 वीरता पुरस्कार विजेताओं तथा उनकी विधवाओं और युद्ध विधवाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2022–23 में अभी तक 06 नये बस पास प्रदान किये गये हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिये कल्याणकारी योजनायें

सेवानिवृति के बाद पंजीकरण करने की विधि

1. हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों में पूर्व सैनिकों के लिये 15 प्रतिशत (Class III and IV) आरक्षण का प्रावधान है । सेवानिवृत होने वाले सैनिक रोजगार हेतु अपना पंजीकरण सेवानिवृति से एक साल पहले अपने क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में करवा सकते हैं । अगर रोजगार हेतु पंजीकरण किसी कारणवश इस काल के अंतर्गत नहीं हो सका हो तो सेवानिवृति के बाद भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

2. पूर्व सैनिक को अपना पंजीकरण का नवीनीकरण समय अवधि यानि तीन वर्ष में करवा लेना चाहिए, जिसके लिए उसे अपना एक्स–10 कार्ड अपने रोजगार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द हो जायेगा।

3. अगर पूर्व सैनिक ने पंजीकृत व्यवसायों में से कोई व्यवसाय बदली करना हो तो भी उसके अपने रोजगार कार्यालय में ही होगा । इसके इलावा अगर उसका पंजीकरण नवीनीकरण न होने की वजह से रद्द हो गया हो तो फिर से दोबारा / नया पंजीकरण भी उसी कार्यालय में होगा। व्यवसाय बदली करने पर वरिष्ठता तिथि नये पंजीकरण के दिन से मान्य होगी, इसलिये पहली बार नाम दर्ज करवाते समय ही सोच समझ कर योग्यता अनुसार व्यवसाय का चयन करें ताकि वरिष्ठता का लाभ भविष्य में न गवाना पड़ें। पूर्व सैनिकों की नौकरी के लिये मनोनयन की प्रकिया मोटे तौर पर इस प्रकार से है :–

(क)	रिक्तियों की उपलब्धता ।
(ख)	पंजीकरण की तिथि ।
(ग)	आवेदक द्वारा पंजीकरण करवाते समय दिये गये विकल्प ।
(घ)	पात्रता जैसे कि योग्यता, संविधिक, पंजीकरण इत्यादि (यदि आवेदक द्वारा बाद में अर्जन की गई योग्यता की गणना नये पंजीकरण के दिन से करना) ।
(ङ)	वार्षिक नामिका (पैनल) – मैरिट (सेना सेवा वर्ष की संख्या, एक वर्ष का 01 अंक और अधिकतम 25 अंक), चरित्र – 05, सेवानिवृति का कारण– 05, श्रेणी – 05, पंजीकरण की तिथि– अधिकतम 10 अंक (कुल अंक–50) ।
(च)	नया साक्षात्कार तभी होगा जब पुराना पैनल (नामिका) निर्गम / समाप्त हो जाये (केवल पुलिस सिपाही के पद या उन पदों को छोड़कर जिनमें पात्रता या योग्यता में बदलाव हुआ हो।)

हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनायें

1. **स्वरोजगार के लिये ऋण.** निगम का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों का कल्याण और आर्थिक उत्थान करना है । स्वरोजगार के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाता है । प्रार्थी को योजना की राशि का 75 प्रतिशत धन ऋण के रुप में बैंक प्रदान करता है तथा निगम 10 प्रतिशत सूक्ष्म ऋण के रुप में प्रदान करता है, जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख है और शेष 15 प्रतिशत प्रार्थी को स्वयं व्यय करना पड़ता है । निगम ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज लेता है तथा बैंक ऋण पर 2.5 प्रतिशत ब्याज सहायकी प्रदान करता है ।

2. **सीमेंट/कलींकर की ढुलाई का कार्य.** निगम ने ए0सी0सी0 सीमेंट फैक्टरी बरमाणा में कुल उत्पाद का 40 प्रतिशत सीमेंट उत्तरी भारत के विभिन्न स्थानों में पहुँचाने का कार्य ले रखा है । अम्बूजा सीमेंट दाड़लाघाट में सीमेंट / कलींकर की ढुलाई का 7.5 प्रतिशत हिस्सा आबंटित है । जे0पी0 सीमेंट प्लांट बागा में भी सीमेंट / कलींकर की ढुलाई का 5 प्रतिशत हिस्सा आबंटित है । उपरोक्त सीमेंट फैक्टरियों में ट्रक अटैच करने के लिये इच्छुक पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों की विधवायें प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में अपना नाम दर्ज करने के लिये आवेदन कर सकते हैं ।

3. **सुरक्षा सेवाऐं.** हिमाचल सरकार ने निगम को पूर्व सैनिकों को सुरक्षा सेवाओं में आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त करने के लिये अधिकृत किया है और पूर्व सैनिकों के नाम विभिन्न विभागों, बोर्डों, संस्थाओं एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार के उपक्रमों को प्रायोजक / स्पॉन्सर करने के लिये हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम को नोडल ऐजेंसी घोषित किया है । इच्छुक पूर्व सैनिक हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम की वेबसाइट http://hpexservicemen.org पर अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं ।

4. **पूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों के बच्चों को एस0एस0बी0 की कोचिंग.** निगम ने पूर्व सैनिकों के बच्चों को एस0एस0बी0 की कोचिंग अधिकृत अकादमी के माध्यम से देने की व्यवस्था की है, जिसके अन्तर्गत एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, ए0सी0सी0, एस0एल0, टी0जी0सी0, 10+2(टैक्नीकल) कैडेट एन्ट्री व महिला सर्विस एन्ट्री के लिये कोचिंग दी जाती है । कोचिंग में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाता है जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली हो तथा एस0एस0बी0 साक्षात्कार का इन्तजार कर रहे हों ।

5. **पूर्व सैनिकों के बच्चों का JEE/Engineering and NEET/Medical कोर्स में प्रवेश के लिये कैस कोर्स करवाना.** निगम पूर्व सैनिकों (सिपाही से हवलदार तक के रैंक) जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, के बच्चों को JEE/Engineering and NEET/Medical में प्रवेश के लिगे अकादमी के माध्यम से क्रैश कोर्स प्रदान करता है । इस योजना के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों के बच्चों की टयूशन फीस की राशि निगम अपने आय के स्त्रोतों से भुगतान करता है । अभ्यर्थी के 10+1(Physics, Chemistry, Maths and Biology) में 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होना अनिवार्य है ।

केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाऐ

ईसीएचएस कार्ड धारकों के लिये जरुरी सूचना

1. सभी ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र और प्राथमिक लाभार्थियों से सभी आश्रितों के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रस्ताव है। पेंशन अर्जित करने वाले प्राथमिक लाभार्थी के वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र को परियोजना स्पर्श (SPARSH) से जोड़ने का प्रस्ताव है। व्यापक पेंशन पैकेज जहां से पूर्व सैनिक या प्राथमिक लाभार्थी के लिए जीवन प्रमाण पत्र को ईसीएचएस डेटाबेस में स्वचालित रूप से भरने की परिकल्पना की गई है। स्पर्श (SPARSH) को ईसीएचएस के साथ जोड़ने तक प्राथमिक लाभार्थियों और उनके जीवनसाथी को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, प्राथमिक लाभार्थी या पति या पत्नी की मृत्यु के मामले में, केंद्रीय संगठन के पत्र के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

2. प्राथमिक लाभार्थी द्वारा कार्रवाई : एक सिस्टम जनरेटेड चेतावनी संदेश उपयुक्त रूप से प्रदर्शित किया जाएगा ताकि आश्रितों के जीवन प्रमाण पत्र और पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकें जो 64 केबी ईसीएचएस कार्ड धारक हैं, पहली बार कार्ड के संग्रह की तारीख के बाद 11 महीने पूरे होने पर या पिछले नवीनीकरण या निम्नलिखित तरीके से सत्यापन :–

(क) जब कोई लाभार्थी किसी पॉलीक्लिनिक में जाता है और कियोस्क पर स्वयं को प्रमाणित करता है : लाभार्थी को एक विशिष्ट तिथि तक जीवन प्रमाण पत्र और या पात्रता की पुष्टि करने के लिए सहायक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए एक चेतावनी संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

(ख) जब प्राथमिक लाभार्थी ईसीएचएस वेबसाइट पोर्टल echs.sourceinfosys.com पर लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करेगाः नवीनीकरण के लिए देय कार्डों का विवरण प्रदर्शित किया जाएगा जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।

(ग) उपरोक्त पैराग्राफ 2 के अनुसार समान जानकारी को मोबाइल एप्लिकेशन खोलने और लॉग इन करने पर ईसीएचएस मोबाइल एप्लिकेशन पर भी प्राप्त किया जा सकता है।

(घ) ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक र चिकित्सा अधिकारी के पर्चे पर अगले वार्षिक सत्यापन की तारीख का भी उल्लेख किया जाएगा।

3. ईसीएचएस कार्ड की वैधता सुनिश्चित करने के लिए पात्रता स्थापित करने के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र और दस्तावेज अपलोड करने की जिम्मेदारी प्राथमिक लाभार्थी की होगी। प्राथमिक लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे:–

(क) स्वयं और जीवनसाथी के लिए प्राथमिक लाभार्थी द्वारा जीवन प्रमाण पत्र :
प्राथमिक लाभार्थी को स्वयं और जीवनसाथी के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राथमिक लाभार्थी के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र स्पर्श (Saparsh), सीपीपी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा जब उसी के लिए सॉफ्टवेयर समाधान लागू होगा। प्राथमिक लाभार्थी या जीवनसाथी की मृत्यु होने पर कार्ड को ब्लॉक करने की कार्यवाही की जायेगी।

(ख) आश्रितों के लिए जीवन प्रमाण पत्र और पात्रता प्रमाण पत्र :

(1) प्राथमिक लाभार्थी श्वेत कार्ड धारकों सहित अपने सभी आश्रितों,यदि कोई हो, के लिए जीवन प्रमाण पत्र और पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

(2) प्राथमिक लाभार्थी आश्रित का चयन करेगा और फिर एक विकल्प का चयन करेगा अर्थात पैन कार्ड उपलब्ध / उपलब्ध नहीं है जो ड्रॉप –डाउन मेनू से उपलब्ध है।

(3) यदि चुने हुए आश्रितों के लिए पैन कार्ड उपलब्ध है तो निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज अपलोड किया जाएगाः –

(i) लगातार दो वित्तीय वर्षों के फॉर्म 26AS।

(ii) लगातार दो वित्तीय वर्षों के ITR V (पावती या आयकर रिटर्न सत्यापन)।

(4) यदि चुने हुए आश्रितों के लिए पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो प्राथमिक लाभार्थी राज्य के राजस्व विभाग से प्राप्त आय प्रमाण पत्र अपलोड करेगा। हालांकि,यह वांछनीय है कि सभी लाभार्थियों के पास पैन कार्ड होना चाहिए।

(5) प्राथमिक लाभार्थी स्वयं को संतुष्ट करेगा कि आश्रितों की आय महंगाई भत्ता को छोड़कर 9000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है।माता–पिता के मामले में पिता और माता की प्रति माह संयुक्त आय महंगाई भत्ता को छोड़कर 9000– रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(6) **कार्यान्वयन की तारीख :** पिछले दो वर्षों में कई 64 केबी ईसीएचएस कार्ड लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। इसलिए, सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, पर्याप्त समय प्रदान करने और पॉलीक्लिनिक्स में भीड़ से बचने के लिए, चेतावनी 01 अगस्त 2022 से शुरू होगी। दस्तावेजों को अपलोड करने को विंडो तीन महीनों के लिए 31 अक्तूबर 2022 तक खुली रहेगी। अपात्र कार्डों को अवरुध करने की शुरुआत 01 नवंबर 2022 से की जाएगी।

<u>Authority</u> : Central Organization ECHS, AG's Branch, IHQ of MoD (Army) letter No B/49711-NSC/AG/ECHS/Gen Corr dated 06 July 2022.

सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को फार्म 16 प्रस्तुत करना

1. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, व्यय विभाग, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों से एजेंसी बैंकों की भुगतान शाखाओं द्वारा फॉर्म 16 जारी न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

2. आहरण और संवितरण एजेंसी के रूप में, सीपीपीसी समय–समय पर सीबीडीटी द्वारा आवश्यक स्क्रॉल और अन्य रिपोर्टों के माध्यम से टीडीएस की कटौती और सीएपीओ को इसकी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होगा। पेंशन भुगतान से इस तरह के कर की कटौती करते समय, भुगतान करने वाली शाखा पेंशनभोगियों द्वारा योग्य बचत के उचित और स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत करने पर समय–समय पर आयकर अधिनियम के तहत उपलब्ध राहत के कारण कटौती की अनुमति देगी। भुगतान करने वाली शाखा प्रत्येक वर्ष अप्रैल में पेंशनभोगी को आयकर नियमों में निर्धारित प्रपत्र में कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करेगी। भुगतान करने वाली शाखा पेंशनभोगी को उपरोक्त प्रपत्र में आवश्यक संशोधन के साथ पेंशन से आय का प्रमाण पत्र भी जारी करेगी, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां स्रोत पर कोई आयकर नहीं काटा जाता है, यदि पेंशनभोगी इस तरह के प्रमाण पत्र के लिए लिखित रूप में आवेदन करता है।

3. सभी अधिकृत बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे योजना पुस्तिका के प्रावधानों का पालन करें और सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए फॉर्म 16 जारी करें।

<u>Authority</u> : Govt of India, Ministry of Defence, Department of Expenditure, Central Pension Accounting Office, New Delhi letter No CAPO/IT&Tech/Bank Performance/37 Vol-III(A)/101636/2022-23/124 dated 19 July 2022.

पेंशन के बकाया का भुगतान

1. पेंशन के भुगतान पर मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, जब भी पेंशन देय हो, पेंशन का दावा किया जाना चाहिए। यदि कोई पेंशनभोगी अपनी देय तिथि से 12 महीने की अवधि के लिए अपनी पेंशन प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे पेंशन संवितरण प्राधिकरण (पीडीए) द्वारा बंद किया जा सकता है। यदि ऐसे पेंशनभोगी बाद के चरण में फिर से उपस्थित होते हैं और अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने दावे को पसंद करते हैं, तो पीडीए ऐसे पेंशनभोगी की वास्तविकता और पहचान की पुष्टि करने और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों से पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद मासिक पेंशन का भुगतान फिर से शुरू कर सकता है। पेंशनभोगी के लंबी अनुपस्थिति के लिए बकाया का भुगतान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद ही देय होगा।

2. ऐसे मामलों में संबंधित पेंशनभोगी को फार्म आईएएफए(सीडीए)–651 पर एक आवेदन जमा करने की सलाह दी जानी चाहिए, जिसमें पेंशन के बकाया के भुगतान के लिए निर्धारित अवधि के भीतर पेंशन प्राप्त करने में उसकी विफलता के लिए स्पष्टीकरण दिया गया हो। अन्य दस्तावेजों के अलावा, पेंशन दावे के बकाया के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जहां पेंशनभोगी पेंशन न लेने की अवधि के दौरान रह रहा था कि वह किसी आपराधिक अपराध मामले में शामिल नहीं है।

3. मृतक पेंशनभोगियों की संपत्ति के कारण पेंशन के आजीवन बकाया के मामले में,फार्म आईएएफ (सीडीए)–652 पर दावा किया जाना चाहिए।

4. सक्षम प्राधिकारी ने यह भी निर्णय लिया है कि पागल पेंशनभोगियों के मामले में जहां पेंशन का बकाया या पेंशन का आजीवन बकाया 12 महीने से अधिक समय से पेंशन नहीं लेने के कारण देय है. निकटतम पुलिस स्टेशन से गैर–दोषसिद्धि प्रमाण पत्र, जहां पागल पेंशनभोगी पेंशन न लेने की अवधि के दौरान निवास कर रहा था कि वह आपराधिक अपराध में शामिल नहीं है, मामले की अब आवश्यकता नहीं है।

Authority : PCDA(P) Prayagraj circular No 226 vide letter No AT/Tech/41/Vol-X dated 15 July 2022

Ceremonial & Welfare Directorate/CW-3
Adjutant General's Branch
Integrated HQ of MoD(Army)
New Delhi-11

B/44607/AG/Misc/CW-3/Edn 19 May 2022

CONCESSIONAL FEES FOR WARDS OF SERVING AND RETIRED PERSONNEL OF ARMED FORCES/PMF/VEER NAARIES

1. It has been intimated by Jaypee University of Information Technology, PO-Waknaghat, Tehsil-Kandaghat, Dist. Solan (HP) that they are offering the following concessions for admission to B Tech programmes for the wards of serving and retired Armed Forces Personnel/PMF and Veer Naaries/Persons with disabilities for AY 2022-23 & AY 2023-24 :-

(a) 10 percent reservation in seats.
(b) 30 percent concession in tuition fees for wards of serving/retired personnels.
(c) 35 percent concession in tuition fees for the wards of Veer Naaries/Personnel with Disabilities.

2. It is requested to promulgate the same to the environment so that maximum personnel can benefit.

Sd/-xx
(Parambir Singh)
Col
Col CS-3&4

Integrated HQ of MoD(Army)
Quartermaster General's Branch
Dy Dte Gen Canteen Services
West Block-3, Wing-3, Second Floor
RK Puram, New Delhi-110066

95366/Q/DDGCB/SCPL25 Apr 2022

As per Distribution List

INTRODUCTION OF NEW APPLICATION FORMS FOR CANTEEN SMARD CARDS

1. The existing application forms for CSD Smart Card have been in existence in this form since 6-7 years with minor changes made in 2018. Based on the feedback from the environment, the following points were observed :-

(a) Large No of beneficiaries especially ESM, Widows and NOK were facing problem & harassment in getting the forms countersigned from Zila Sainik Wefare Organisation/Station HQ/nearest military establishment etc.

(b) For serving personnel, since the photograph on the Canteen Smart Card was in Uniform, it was being misused as "Identity Proof" to enter military establishments and uploading on social media and other Apps like OLX. This is a serious security concern.

(c) Instructions for filling of form were not self explanatory & beneficiaries could not fill form correctly leading to rejection of applications.

(d) Officer Cadets and Recruits were not issued personalized canteen cards. They could purchase grocery through Silver Cards issued to the Academy/Centre. These were without name and thus liable to misuse.

(e) Addresses of CS Directorate and SCPL were incorrect.

2. Accordingly, after detailed deliberations with SCPL, new Applications forms have been introduced and are being supplied to all URCs. The relevant changes are as under :-

(a) **Self Declaration by Beneficiaries** that information filled in form is correct. Countersigning authority has been changed as under :-

(i) Any Field Officer/OIC Canteen/Canteen Officer/Canteen Manager for Serving and Retired Armed Forces Personnel, ESM including widows and NOK and serving cadets/recruits.

(ii) **For Civil Defence employees,** verification from Director level Officers is required before countersignatures by Canteen OIC/Manager.

(b) Photographs of even serving Armed Forces personnel to be in Civil Dress as under :-

(i) Officers – Lounge Suit/Shirt & Tie.

(ii) Others – Civil Dress.

(c) Detailed instructions with correct addresses and updated rates have been included.

(d) New forms for Officer Cadets and Recruits have been introduced.

3. The following forms are now available for applying for new Canteen Smart Cards :-

(a)	Serving Personnel (Armed Forces)	- White Forms
(b)	Retiring Personnel (Armed Forces)	- Red Forms.
(c)	Ex-Servicemen/Widows/NOK	- Green Forms.
(d)	Serving Defence Civilians	- Yellow Forms.
(e)	Retiring, Retired and family pensioners Defence Civilians	- Blue Forms.
(b)	Serving GCs/Lady Cadets/Recruits with Blue Print of content.	- White form

4. All URCs and URC managaements to pass instructions to all concerned to use the new application forms for Canteen Smart Cards.

5. This letter may please be disseminated to all formations/units and URCs for information and compliance.

Sd/-xx
(APS Chahal)
Brig
Brig CS
For QMG

चिकित्सा/पेशेवर/गैर–पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चों को आरक्षण/वरीयता के लिये

परस्पर प्राथमिकता

1. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा जारी चिकित्सा / पेशेवर / गैर–पेशेवर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्राथमिकताओं की सूची निम्नानुसार है :–

Ser No	Priority	Category
(a)	Priority-I	Widows/Wards of Defence personnel killed in action.
(b)	Priority-II	Wards of disabled in action and boarded out from service.
(c)	Priority-III	Widows/wards of defence personnel who died while in service with death attributable to military service.
(d)	Priority-IV	Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.
(e)	Priority-V	Wards of ex-servicemen and serving personnel who are in receipt of gallantry awards :-
		(i) Param Vir Chakra.
		(ii) Ashok Chakra.
		(iii) Maha Vir Chakra.
		(iv) Kirti Chakra.
		(v) Vir Chakra.
		(vi) Shaurya Chakra.
		(vii) Sena, Nao Sena &, Vayu Sena Medal
		(viii) Mention-in-Despatches.
(f)	Priority-VI	Wards of Ex-Servicemen.
(g)	Priority-VII	Wives of :-
		(i) Defence personnel disabled in action and boarded out from service.
		(ii) Defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.
		(iii) Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of gallantry awards.
(h)	Priority-VIII	Wards of Serving Personnel.
(j)	Priority-IX	Wives of Serving Personnel.

Authority : Govt of India, Min of Def, Deptt. of Ex-Servicemen Welfare letter No 6(1)2017/D(Res-II) dt 21 May 2018.

Tele : 20863044
12681/Gen/T-1/MP-5(b) 20 Jan 2022

ADJUTANT GENERAL'S BRANCH
AG/MP 5(B)
FOR INFORMATION OF ALL VETERANS/NOKs

1. A whatsapp message is being circulated in social media in which it is mentioned that SPARSH is not applicable for all, which is incorrect.

2. It is once again clarified that the SPARSH is applicable to all veterans and the migration of data is being done by PCDA(P), Allahabad in a phased manner.

3. PCDA(P), Allahabad has already started migrating data of post 2016 retirees and subsequently data of pre 2016 veterans will be migrated.

4. The authenticated instructions/information about SPARSH is given in RODRA website under "What is new button".

5. Helpline PCDA(P), Allahabad for SPARSH is as under :-

(a) 18001805325.

(b) 05322421877.

(c) 05322421879.

6. You are requested to disseminate the contents to all concerned please.

Sd/-xx
(M Alagu)
Lt Col
AAG MP 5(b)

DIAV

Copy to :-

ADG Strat Comn- for wide publicity please.

SPARSH : STEP WISE MIGRATION

1. **Step 1.** Immediately on migration, an SMS and email is sent to the pensioner' latest Mobile number & email ID registered with bank for e-banking or SMS facility etc.

OR

2. **Step 1**. A pensioner can check his status by visiting the website https: // pcdapension.nic.in/pcda/view-sparshppo.php' on civil internet.

3. **Step 2**. Select the mode by which you want to search ; the Old e-PPO Number or IC Number or Bank Account Number and then type the same in the box given.

OR

4. **Step 2**. Type the given Captcha and click on 'Submit' button. New PPO Number would be reflected on screen.

OR

5. **Step 2.** Migrated pensioners may find their new PPO Number under link Various Functions – DAK/SPARSH migration status' after login into RODRA also, which is updated as per the list received from PCDA (P) by ORO.

OR

6. **Step 3.** If any pensioner is shown as migrated to SPARSH, but he did not get his user ID & Password through SMS/email due to any reason, he may contact PCDA (P), Allahabad on 18001805325 or TCS on 011-20893782/ 83/ 84/ 85 or may/ try to directly login as per the following method on SPARSH Website 'sparsh.defencepension.gov.in' login page:-

(a) Login with User ID - User ID as received or if not received then New SPARSH PPO No suffixed with 01 (eg if New SPARSH PPO Number is 01202100999 then user ID will be 10120210099901)

(b) Password - Use Forgot Password link and follow the on screen process.

7. **Step 4.** In case the officer is still unable to get his details or successfully login, he may contact SPARSH Cell, PCDA (P) Allahabad, on 18001805325 (or) 05322421877/9 (or) ORO (MP-5B) to update his Mobile Number & email ID on 8130591689 & 8368051743 (Whatsapp only), through email offr.record@gov.in or RODRA grievance module.

Note :- No soft or hard copy of new PPO is being generated or issued and only a new PPO Number is issued. Details of service, family, pension & other benefits are reflected under Profile, post login into SPARSH. If the pensioner desires, he may keep a printout of the same for his reference as the SPARSH PPOs are just a statement with pension details and no longer serve as an authority for payment of pension by any agency like DPDO/ Bank etc. Accordingly, the PPOs of current retirees are also issued with following note:- 'This document is for record of pensioner only and does not serve as authority for payment at any Pension Disbursing Agency. Payment of pension will be done centrally by SPARSH'.

कविता

हम चैन की सांस लेते हैं
बिना डर के सोते हैं,
न रात की चिन्ता न दिन की खोज
बस अपने में रहते हैं
गोलियां जब सरहद पर चलती हैं
पहली गोली वो खाते हैं,
देश के लिये शहीद वो होते हैं
बिना, मां की लोरी के
धरती की गोद में सो जाते हैं।

बाप के कंधे के बिन
वो कंधों पर जाते हैं,
मां की कोख से जन्मे
धरती को ही अपनी मां कहते हैं।

सात जन्मों का वादा कर
बीच मझधार में वो छोड़ देते हैं,
अगले जन्म मिलेंगे ऐसा वो कहते हैं
लेकिन किसने देखा है कल
ये तो ख्यालों में ही अपनी जिन्दगी जी जाते हैं।

जब भी एक सैनिक शहीद होता है
तो पीछे अपना पूरा परिवार छोड़ जाता है,
आज सब रोते हैं
कल फिर क्यों उन्हें भूल जाते हैं।

निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश
स्थित हमीरपुर–177001

शूरवीर हितैषी पत्रिका लेने हेतू – अंशदान फार्म

(Subscription Form)

1. Army No ____________________
2. Rank ____________________
3. Name ____________________
4. Mobile Number ____________________
5. Permanent Home Address :
   (जहाँ पत्रिका लेना चाहते हैं) ____________________
   ____
6. Pin Code ____________________
7. Subscription Amount ____________________
   (For life Rs. 500/-)

8. Mode of Payment : Bank draft in favour of the Director Sainik Welfare (Shurvir Hiteshi Fund) HP at Hamirpur and to be forwarded to Directorate of Sainik Welfare, HP at Hamirpur (HP)-177001.

Place :

____

Signature of the Applicant)

Dated :

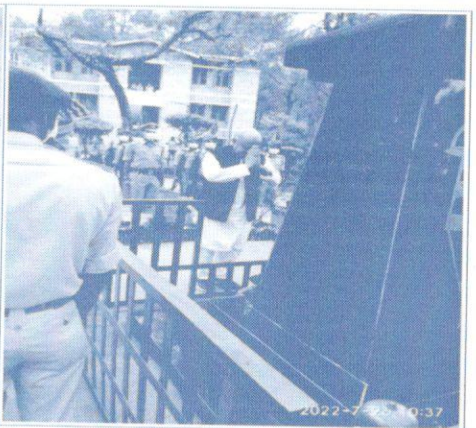

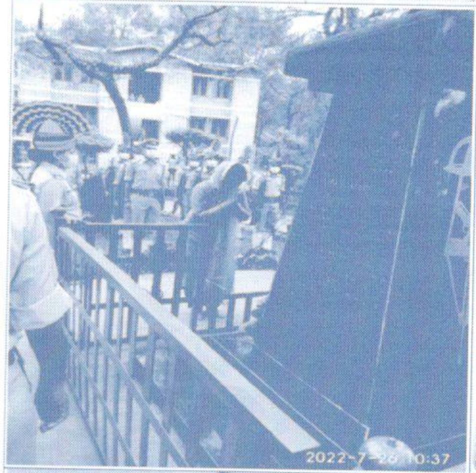

कारगिल युद्ध में भारत की जीत गौरवमयी : सुरेश कश्यप

नाहन में गीत-संगीत के साथ शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित

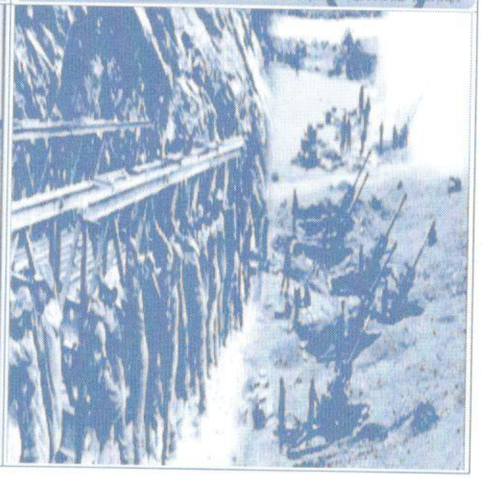

शहीदों पर वृत्तचित्र देख परिजनों के छलके आंसू, सीएम भी हुए भावुक

कारगिल शहीदों के परिजन, वीर नारियां, सैनिक और पूर्व सैनिक किए सम्मानित